

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 279]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 मई 2022—ज्येष्ठ 9, शक 1944

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2022

क्र. एफ 1-4-2021-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम-2 में, अनुक्रमांक बासठ और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

“बासठ—विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण”

2. अनुसूची में, विद्यमान शीर्षक “बासठ—घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग” के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“बासठ—विमुक्त, घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 मई 2022

क्र. एफ 1-4-2021-एक (1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 1-4-2021-एक(1), दिनांक 30 मई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

Bhopal, the 30th May 2022

No. F. 1-4-2021-One-(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 2, for serial number LXII and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely:—

“LXII. Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Welfare.”

2. In the Schedule, for the existing heading “LXII. NOMADIC AND SEMI-NOMADIC TRIBE DEPARTMENT”, the following heading shall be substituted, namely:—

“LXII. Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic Welfare Department.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RANJANA PATNE, Under Secy.